न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1271–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 752/अपील/1994–95.

महेशप्रताप सिंह क्षत्रिय आत्मज लाल शहिजाद सिंह
निवासी ग्राम चर्कवाह थाना ब्यौहारी
तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल

–––––अपीलार्थी

विरूद्ध

सरपंच ग्राम पंचायत दत्तोतर
तहसील व जिला देवास

–––––प्रत्यर्थी

– – – – – –

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अपीलार्थी

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 27 नवम्बर 2015)

– – – – – –

यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 31–5–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी महेशप्रसाद द्वारा संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चर्कवाह स्थित खसरा कमांक 333/3 रकबा 3.10 ए0, 335/2 रकबा 3.25 ए0, 337/1 रकबा 2.00 ए0, 345 रकबा 1.50 ए0, 346/1 रकबा 01.75 ए0, 364/2 रकबा 2.00 ए0, 280 रकबा 3.32 ए0,

283 रकबा 1.98 ए0, 278 रकवा 10.50 ए0 एवं 346 रकबा 2.00 ए. कुल किता 28.65 ए0 भूमि वर्ष 1954 के पूर्व शासकीय रही है जिसपर अपीलार्थी मौके से कास्तकार के काबिज दखल रहा है। उक्त आराजी पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर खसरे में इन्द्राज किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात आदेश दिनांक 26—4—95 से अपीलार्थी का आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 31—5—07 से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि कि संहिता के प्रभावशील होने के समय यदि किसी व्यक्ति को भूमिधारी याभूमिस्वामी अथवा अधिपति कृषक के रूप में 02—10—1959 के पूर्व कोई अधिकार प्राप्त थे तो वे अधिकार उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित बने रहें और यदि ऐसे स्थिति में अधिकारों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन अधिकारी का विनिश्चय संहिता की धारा 57(2) के प्रावधान के अनुसार कराया जा सकता है। प्रकरण में 10—1—1954 को तत्कालीन पवाईदार द्वारा वादभूमियों के संबंध में पट्टा प्रदान किया गया था और वह पट्टा आज भी अस्तित्व में है। इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि जब संहिता की धारा 57(2) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम धारा 30(2) का पालन करते हुये वस्तुस्थिति की जांच का परीक्षण रवाकर प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा न करने पर विधि की त्रुटि की है। तर्क में यह

भी कहा कि अपीलार्थी को जरिये पट्टा दिनांक 11–1–1954 बाद भूमि का जायज स्वत्व होने के बावजूद भी भूमि को कब एवं कैसे शासकीय दर्ज कर दी गई इसका कोई प्रमाण नहीं है फिर भी अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की है। अपीलार्थी द्वारा इतने लंबे समय में काफी पूंजी एवं श्रम लगाकर उक्त भूमि को उपजाऊ खेत बना लिया है। अपर आयुक्त द्वारा भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ प्रत्यर्थी शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने परीक्षण करने के उपरांत अपीलार्थी को गैरहकदार कृषक की श्रेणी में नहीं मानने से आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किया था। अपीलार्थी विचारण न्यायालय सहित अपीलीय न्यायालय में अपने हक के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उचित हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं होने निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। अपीलार्थी महेशप्रसाद द्वारा संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चर्कवाह की प्रश्नाधीन भूमियों को वर्ष 1954 के पूर्व कास्तकार होकर काबिज दखल होने के आधार पर प्रस्तुत किये जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपीलार्थी की ओर से कोई वर्ष 1958–1959 की खतौनी तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने एवं

वर्ष 58 क पूर्व का खसरा खतैनी पेश नहीं करने से गैरहकदार कृषक नहीं माना है। अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की है उसका उपर का भाग अस्पष्ट है, किस व्यक्ति के द्वारा यह दस्तावेज प्रदाय किया गया, स्पष्ट नहीं है। इसी आधार पर अपर आयुक्त द्वारा भी प्रथम अपील को सारहीन होने से निरस्त किया है। प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 1989—90 में विवादित आराजी म0प्र0 शासन के नाम दर्ज है। अपीलार्थी ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने असमर्थ रहा जिससे उसे गैरहकदार कृषक माना जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेखों की विस्तृत विवेचना उपरांत अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है जिसमें कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 31—5—07 एवं अनुविभागीय अधिकारी जयसिंहनगर का आदेश दिनांक 26—4—95 स्थिर रखे जाते हैं।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर